न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल रीवा कैम्प रीवा {म०प्र०}

निगरानी 105-III-15

06
8.1.15

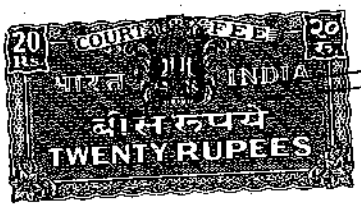

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

1- जगदीश प्रसाद तनय श्री गंगा प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम महसुआ तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा {म०प्र०}

श्री. प्रवीण मिश्रा द्वारा आज दिनांक 8-01-15 प्रस्तुत किया गया।

--आवेदक/निगरानी कर्ता

बनाम

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1- बैसाखू कोल तनय स्व. रमई कोल

2- बन्टा कोल तनय स्व. रमई कोल

3- कामता तनय मोती कोल

4- नेपाल सिंह तनय ददन सिंह

5- केमला तनय माली काछी

{सभी निवासी ग्राम महसुआ तहसील रायपुर कर्चुलियान जि. रीवा म०प्र०

क्रमांक 4226
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 12-1-15 को प्राप्त

... कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6- रामगोपाल
7- इन्द्रमाल
8- मोहन लाल

पिसरान स्व. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद अवस्थी निवासी ग्राम लोहदवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जि. रीवा म.प्र.

--अनावेदकगण/गैर निगरानी कर्तागण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 74 /अ-6अ/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 7.10.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

{1} यहकि भूमि खसरा क्रमांक 103 रकबा 0.089 हेक्टेयर का निगरानी कर्ता रजिस्टर्ड भूमिस्वामी तथा अधिपत्यधारी है। उक्त भूमि निगरानी कर्ता की पैत्रिक भूमि है जो ग्राम महसुआ तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा में स्थित है । निगरानी कर्ता की उक्त भूमि मे लगी हुयी भूमि खसरा क्रमांक 112/1

जगदीश प्रसाद मिश्रा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-105/तीन/15 .... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	जगदीश प्रसाद कार्यवाही तथा आदेश बैसाखू कोल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.2.2016	यह निगरानी तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के प्र० क्र० 74/अ-6-अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक 7-10-14 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई। प्रकरण में आवेदक अधि० श्री प्रवीण मिश्रा को सुना गया तथा उनके तर्कों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 7-10-14 का परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित किया गया है कि तह० द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है कि चूंकि मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है अतः इस न्यायालय में प्रकरण पर किसी अग्रिम विचारण की आवश्यकता नहीं है। उक्त तथ्यों के संबंध में बतलाया गया कि जो प्रकरण राजस्व मण्डल में प्रचलित है उसमें निगरानी कर्ता पक्षकार नहीं है और न ही निगरानी कर्ता का राजस्व मण्डल में प्रचलित प्रकरण में दर्शित भूमियों से कोई सम्बन्ध ही है और न ही राजस्व मण्डल में लंबित प्रकरण से कोई लेना देना है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 7-10-14 में यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि राजस्व मण्डल में प्रचलित प्रक० क्रमांक क्या है उसमें पक्षकार आवेदक है या नहीं क्या इस प्रकरण में आवेदक का कोई हित निहित है और है तो किस प्रकार रा०मं० में जिस मूल प्रकरण को प्रचलित होना बतलाया गया है उससे आवेदक किस प्रकार से जुड़ा है क्या उसमें विवादित भूमियों से आवेदक का कोई सम्बन्ध है आदि तथ्यों के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या उस मूल प्रकरण में जो रा०मं० में विचाराधीन है कोई स्थगन है जिससे इस प्रकरण क्रमांक 74/अ-6-अ/13-14 में अंकित भूमियां प्रभावित हो रही है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 7-10-14 मौन आदेश है जो निरस्त किये जाने योग्य	

[क्र. प. उ.

K-105/11/15

स्थान तथा दिनांक	जगदीश प्रसाद कार्यवाही तथा आदेश वि० सरकार वगैरह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं है। अतः तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दिनांक 7.10.14 विधिक एवं सारवान न होने से निरस्त किया जाता है तथा तह० को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए श्रीमान आयुक्त के आदेश दिनांक 1.3.14 के पालन में विधिवत गुणदोष पर आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे।	